अनुदान संख्या 34 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 34 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*177,69,00*	*168,02,93*	*-9,66,07*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*6,30,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4832,22,00	4947,61,00	4929,46,51	-18,14,49
पूरक	Supplementary	115,39,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		16,00,00	10,87,36	-5,12,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,18,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*17769.00*	*17139.00*	*16802.93*	*-336.07*
पु.	*R.*	*-630.00*			

(I) "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक – मुख्यालय कार्यालय" के अंतर्गत – *₹805.93 लाख* की बचत (*₹16945.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) वेतन एवं अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" - saving of *₹805.93 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹16945.00 lakhs*) was due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1814.49 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹11539.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1814.49 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹11539.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	483222.00	494761.00	492946.51	-1814.49
पू.	S.	11539.00			

(I) "सिविल लेखापरीक्षा तथा लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय" के अंतर्गत – ₹161636.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9518.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹171154.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹5952.99 लाख की सीमा तक वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" - the original provision of ₹161636.00 lakhs was augmented to ₹171154.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9518.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹5952.99 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses.

(II) "डाक तथा दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹1511.19 लाख की बचत (₹15959.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹1511.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15959.00 lakhs);

(III) "रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹3187.78 लाख की बचत (₹29026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under "Railway Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹3187.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29026.00 lakhs); and

(IV) "वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹679.53 लाख की बचत (₹15.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹20411.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under "Commercial Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹679.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20411.00 lakhs including supplementary grant of ₹15.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों का न भरे जाने तथा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन की वजह से वेतन और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards salaries owing to implementation of non-functional upgradation and other establishment related expenses.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹261.41 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹261.41 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10557.89 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि "सिविल लेखापरीक्षा तथा लेखा कार्यालय – सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय" के अंतर्गत ₹2739.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10149.10 लाख था।

3. The above savings were partly (₹10557.89 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2739.00 lakhs under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Audit Offices". Actual excess, however, was ₹10149.10 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹346.45 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थी।

4. In the capital section of the grant, under one head saving of ₹346.45 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.